राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 81/2019

जमील अहमद —अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय अजमेर।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, चावंडिया, मसूदा, अजमेर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.05.2022
आदेश की दिनांक : 29.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री डी.पी. शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम.एस.काला, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी का अपील में अभिकथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–।।। के पद पर दिनांक 24.12.1994 में हुई थी, जिसकी पालना में उसने कार्यग्रहण किया। तत्पश्चात् अपीलार्थी का समायोजन अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर दिनांक 15.10.1997 (अनुलग्नक–1) में किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 21.09.2005 (अनुलग्नक–2) के द्वारा दिनांक 24.12.2004 से 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.06.2013 (अनुलग्नक–3) द्वारा 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 24.12.2012 से एसीपी का लाभ दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 11.12.2018 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी का एसीपी का लाभ रुपये 4800 के स्थान पर ग्रेड पे 4200 में निर्धारित करते हुए दिनांक 01.07.2013 से 30.11.2018 तक के अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली के आदेश भी दिये गये। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को बिना किसी सुनवाई का अवसर दिये आलोच्य आदेश दिनांक 11.12.2018 (अनुलग्नक–1) जारी किया गया है, जो विधि एवं नियमों के विरूद्ध है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थीगण के द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 11.12.2018 (अनुलग्नक–4) के द्वारा वेतन घटाए जाने एवं वसूली आदेश को अपास्त किया जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावे।

प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान् अधिवक्ता ने सीधे ही बहस करते हुए अपील के आधारों का विरोध किया और कथन किया गया कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर की गई थी। राज्य सरकार के आदशों की पालना में अधिशेष प्रयोगशाला सहायकों को तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया है। उक्त अध्यापकों को 9, 18, 27 वर्षीय ए.सी.पी. में प्रथम नियुक्ति पद प्रयोगशाला सहायक की एन्ट्री ग्रेड–पे राशि रूपये 2800/– के आधार पर क्रमशः 3600, 4200 एवं 4800 रूपये ग्रेड पे स्वीकृत किये जाने का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 05.07.2013 के द्वारा किया गया है। नियमानुसार अपीलार्थी की एन्ट्री ग्रेड पे राशि रूपये 2800 के आधार पर 9, 18 व 27 वर्ष पर क्रमशः 3600, 4200 एवं 4800 रूपये ए.सी.पी. स्वीकृत किये जाने का प्रावधान होने के कारण आलोच्य आदेश दिनांक 11.12.2018 (अनुलग्नक–1) जारी किया गया है एवं नियमानुसार अधिक भुगतान की राशि वसूली के निर्देश दिये गये है। जिसमें किसी प्रकार की नियम की विरूद्धता एवं दुर्भावना नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील निरस्त फरमायी जावे।

हमने अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना, जिसमें उन्होंने अपने–अपने अभिवचनों को दोहराया और अभिलेख पर उपलब्ध तमाम सामग्री का गंभीरतापूर्वक परिशीलन कर मनन किया।

अपील के अभिलेख एवं अभिवचनों से यह स्वीकृत रूप से प्रकट है कि अपीलार्थीगण की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई, जिसकी वेतन श्रृंखला अध्यापक तृतीय श्रेणी के समकक्ष थी। राज्य सरकार के निर्णय दिनांक 24.07.1997 एवं 27.08.1997 के द्वारा अधिशेष प्रयोगशाला सहायकों को अध्यापक तृतीय श्रेणी के पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया। वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन दिनांक 05.07.2013 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि दिनांक 01.07.2013 से अध्यापक के पद पर प्रथम नियुक्ति के समय ग्रेड पे 3600 होती है तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए.सी.पी. की ग्रेड पे क्रमशः 4200, 4800 एवं 5400 रुपये है। यह विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में अभिनिर्धारित किया गया है कि एक पद के दो वेतनमान नहीं हो सकते हैं, अर्थात् समान पद समान वेतन का सिद्धान्त लागू होता है। अपीलार्थीगण प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियमित नियुक्ति प्रक्रिया से चयनित होकर अधिशेष होने पर अध्यापक तृतीय

श्रेणी में समायोजित किये गये है। अतः प्रयोगशाला सहायक से अध्यापक के पद पर समायोजित कार्मिक, नियमानुसार अध्यापक के पद के चयनित वेतनमान/ ए.सी.पी. प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

उपर्युक्त विवेचनानुसार अपील एतद्द्वारा स्वीकार की जाती है और उक्त आलोच्य आदेश दिनांक 11.12.2018 (अनुलग्नक–4) को अपास्त किया जाता है। यह आदेश भी दिया जाता है कि आक्षेपित आदेशों की अनुपालना में अपीलार्थीगण से कोई राशि वसूल नहीं की जावे और यदि उनसे कोई राशि वसूल की गई हो तो उक्त राशि उन्हें इस आदेश की प्रति प्रस्तुत किये जाने के तीन माह की अवधि में लौटाई जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण को पूर्व में स्वीकृत चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्रत्याहृत (withdraw) नहीं किए जाएं। उक्त निर्देशों की पालना प्रत्यर्थी विभाग आदेश की प्रति प्रस्तुत करने के तीन माह की अवधि में किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

आदेश आज दिनांक ..... को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(एम.एस.काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य